21.10.19 पत्रावली पेश हुआ। वकील प्रार्थी उप०।
मूल वाद वकील वादी (प्रार्थी) की
अदालत से खारिज किया जा चुका है।
आवेदन में कोई कार्यवाही का औचित्य
नहीं रहा। अतः आवेदन इसी स्तर पर
निरस्त करते हुए व प्रार्थी का आवेदन
खारिज किया जाता है। पत्रावली
अदालत से खारिज दाखिल दफ्तर हो। नक्ल
फैसला शुमार होकर
हे कम हो।

सहायक कलक्टर
घोहटन